रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2001/भाद्र 22, 1923
No. 250] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2001/BHADRA 22, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2001

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से सोडियम हाइड्रोसल्फाईट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच—अंतिम जांच परिणाम

सं. 39/1/2000-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. **प्रक्रिया**

नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 2 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं0 39/1/2000-डीजीएडी के जरिए चीन जनवादी गणराज्य से सोडियम हाइड्रोसल्फाईट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया गया था और हितबद्ध पार्टियों से इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रुप में अपने विचार भिजवाने का अनुरोध किया गया था ;

ii) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियो को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिनसे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ;

iii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति चीन जनवादी गणराज्य के नई दिल्ली स्थित दूतावास को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वह प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने विचार प्रस्तुत करे।

iv) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों के विचारों को मौखिक रुप से सुनने के लिए दिनांक 29 मई, 2001 को एक सार्वजनिक सुनवाई की जिसमें मै0 ट्रांसपेक इंडस्ट्री लि0, गुजरात तथा मै0 डेमोशा कैमिकल्स लि0, मुम्बई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाली पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रुप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रुप से दर्ज कराएं । हितबद्ध पार्टियों से इस तरह से प्राप्त लिखित निवेदनों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष में विचार किया गया है ।

v) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को उनके अनुरोध पर विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी ;

vi) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क, जिन्हें पहले अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, को संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । तथापि, हितबद्ध पार्टियों द्वारा में दिए गए तर्कों पर प्रारंभिक निष्कर्षों और/या इन निष्कर्षों में उचित ढंग से विचार किया गया है ;

vii) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रकट किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत् विचार किया गया है ;

viii) जांच की कार्रवाई दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए की गई थी ।

ix) इस अधिसूचना में आए *** से हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी ने उसे गोपनीय ही माना है ।

ख. याचिकाकर्ता, निर्यातकों, आयातको एवं अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार तथा प्राधिकारी द्वारा उन पर की गई जांच

2. याचिकाकर्त्ता, निर्यातकों एवं आयातकों ने इस बारे मे अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनका संक्षिप्त रुप से नीचे उल्लेख किया गया है:-

(1) **घरेलू उद्योग के विचार**

(क) **पाटन के बारे में**

(i) यह निर्यातक का खुद का निवेदन है कि कंपनी ने शुरु में पूर्ण सूचना नहीं दी थी । निर्यातक ने ही निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे अपने ही पाटन मार्जिन के पुनर्निर्धारण के लिए दिए गए नए आंकड़ों पर विचार करें ।

(ii) चीन एक गैर-बाजारी अर्थ-व्यवस्था वाला देश है । निर्यातक से इस बात को प्रमाणित करने की अपेक्षा की गई है कि निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इनकी सूचना पर क्यों विश्वास किया जाना चाहिए ।

(iii) यह निवेदन किया गया है कि केवल निर्यातक द्वारा जवाब दिया गया है । हांगकांग के व्यापारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है । न तो कंपनी द्वारा निर्यात कीमत को प्रमाणित किया जा सकता है और न ही कम्पनी कीमत समायोजन को प्रमाणित कर सकती है तथा व्यापारियों के लिए सत्यापन प्रस्तुत कर सकती है जबकि व्यापारी ने जवाब नहीं दिया है । जब तक हांगकांग की

कंपनी द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को जवाब नहीं दिया जाता है तब तक उस कीमत को" निर्यात कीमत" नहीं माना जा सकता है जिस कीमत पर उक्त कंपनी ने हांगकांग की कंपनी को बिक्री की थी ।

(iv) प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह चीन के संयंत्र से चीन के पत्तन तक के मालभाड़े, कमीशन, अंतर्राज्यीय मालभाड़े, विदेशी मालभाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन खर्च, ऋण लागत, चीन/हांगकांग की कंपनी द्वारा की गई कोई अन्य सेवा के कारण हुए खर्चों पर विचार करे ।

(v) याचिकाकर्त्ताओं ने एकमात्र नियातक द्वारा दायर किए गए जवाब के मुद्दे पर प्रश्नावली के विभिन्न परिशिष्टों पर बिन्दु-वार विस्तृत टिप्पणियां की हैं जिन पर भी विश्वास किया जा रहा है ।

(ख) **क्षति एवं कारणात्मक संबंध में बारे में**

(i) चीन से हुए आयातों में काफी महत्वपूर्ण रुप में वृद्धि हुई है ।

(ii) चीन से हुए आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है ।

(iii) अमरीकी डालर के रुप में चीन की निर्यात-कीमत में काफी कमी आई है । निर्यातक द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि निर्यात कीमतों में कमी आई है और उसी अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि होने के बावजूद ऐसा हुआ है ।

(iv) हालांकि याचिकाकर्ताओं के संबंध में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है तथापि इसे उस कीमत के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है जिस कीमत पर वस्तुओं की बिक्री की गई थी और उसे लाभप्रदता पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव के संदर्भ में भी देखने की आवश्यकता है । उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि मात्र का अर्थ यह नहीं है कि क्षति नहीं हुई है । उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री अधिक होने के परिणामस्वरुप याचिकाकर्ताओं को अधिक वित्तीय हानि हुई है ।

(v) हालांकि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है तथापि इसके बाजार हिस्से में गिरावट आई है । इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को बढ़ते हुए आयातों द्वारा पूरा किया गया था ।

(vi) याचिकाकर्ता कंपनियों की बिक्री कीमतें 100(अंकित) से घटकर 89.23 रह गई हैं । वास्तविक रुप में बिक्री कीमतें 1215.37 अमरीकी डालर प्रति मी0 टन से घट कर 1084.45

अमरीकी डालर प्रति मी0 टन रह गई है, जबकि आयातों का पहुंच मूल्य 1008.90 अमरीकी डालर से घटकर 966.15 अमरीकी डालर रह गया । इस प्रकार आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम था जिसके परिणामस्वरुप आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई थी (वर्ष 1996-97 के 797मी0 टन से बढ़कर वर्ष 1999-00 में 3000 मी0 टन तक) । याचिकाकर्ताओं ने आगे यह निवेदन किया है कि चीन से होने वाले आयातों की मात्रा के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयातकों ने आयातों को सूचित करने के लिए सीमाशुल्क के अनेक वर्गीकरणों का सहारा लिया है ।

(vii) उत्पादन लागत में वृद्धि होने तथा बिक्री कीमत में कमी होने के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है । निर्यातक ने भी स्पष्ट रुप से इस बात को स्वीकार किया है कि लाभ में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

(viii) आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य बिक्री कीमत से काफी कम रहा है जिसके कारण भारतीय बाजार में गंभीर कीमत कटौती हुई है ।

(ix) आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा उचित बिक्री कीमत से काफी कम रहा है जिसके कारण भारतीय बाजार में गंभीर कीमत-अवमूल्यन एवं कीमत-गिरावट हुई है ।

(x) दोनों कंपनियों में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद प्रचालन के खराब स्तर के कारण रोजगार में वृद्धि नहीं हुई । तथापि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि प्रचालन के खराब स्तर के कारण रोजगार के स्तर को बनाए रखने में मुश्किल हुई है ।

(xi) याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि हालांकि उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है लेकिन पाटित आयातों के कारण कीमतों में वृद्धि नहीं हो सकी । इन आयातों के प्रभाव से भारतीय बाजार में कीमतों का गंभीर रुप से अवमूल्यन तथा कीमत गिरावट रही है । महत्वपूर्ण कीमत कटौती के परिणामस्वरुप बिक्री में काफी गिरावट आएगी अगर कीमतों का वर्तमान रुझान जारी रहा ।

(xii) अधिक उत्पादन के परिणामस्वरुप उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है । तथापि अधिक उत्पादकता से लाभप्रदता में वृद्धि नहीं हुई है । अलबत्ता उद्योग को हानि ही हुई है ।

(xiii) घरेलू उद्योग की घटती हुई लाभप्रदता तथा बढ़ती हुई हानि के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग के लिए निवेश के संबंध में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

(xiv) घरेलू उद्योग नए निवेशों के लिए नई पूंजी लगाने अथवा इसमें अभिवृद्धि करने के लिए समर्थ नहीं है क्योंकि उद्योग में किए गए वर्तमान निवेश से होने वाली आय तथा लाभप्रदता नकारात्मक रही है ।

(xv) कर्मचारियों के वेतन में सुधार प्रदर्शित हुआ है क्योंकि कंपनी को उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए वेतन में वृद्धि करनी पड़ी थी । याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि वेतन को प्रतिबंधित करने के किसी प्रयास से उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसलिए घरेलू उद्योग की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(xvi) घरेलू उद्योग का प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से होने वाला नकद प्रवाह काफी घट गया है।

(xvii) निर्यात निष्पादन के प्रभाव, यदि कोई हो, चाहे अनुकूल अथवा प्रतिकूल, को विभिन्न आर्थिक मानदण्डों पर लादा नहीं गया है, जिसके बारे में सूचना याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई है । याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन में आई गिरावट को क्षति के किसी मानदण्ड के रुप में होने का दावा नहीं किया है और इसलिए निर्यात की मात्रा से कोई संबंध नहीं रह गया है ।

(xviii) निर्यातक ने औद्योगिक विकास के संबंधित कतिपय समस्याओं पर दोषारोपण किया है लेकिन इस बात को प्रमाणित नहीं किया है कि ये समस्याएं क्या हैं और किस प्रकार इन्होंने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है ।

(ग) **अन्य मुद्दों के बारे में**

(i) निर्यातक के जवाब में काफी विलम्ब हुआ है । इतने विलम्ब से प्राप्त सूचना को कार्यवाही में स्वीकार करना न केवल घरेलू उद्योग के हित के खिलाफ है अपितु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है । विश्व का कोई भी जांचकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार के विलम्ब से प्राप्त जवाबों को स्वीकार नहीं करता है । तदनुसार, निर्यातक द्वारा अनुचित समय पर दायर किए गए जवाब को रद्द किया जाना चाहिए ।

(ii) निर्यातक द्वारा दायर किऐ गए जवाब का अगोपनीय अंश पूर्ण रुप से त्रुटिपूर्ण है । इसके अलावा यदि जवाब के अगोपनीय तथा गोपनीय अंश में अंतर है तो नियमों के अनुसार जवाब के गोपनीय अंश को उस सीमा तक रद्द कर देने की जरुरत है ।

(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल जवाब देने का अर्थ यह नहीं है कि उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा (कुपरटिनो) ।

(iv) अलग से वर्ताव करना केवल तभी व्यवहार्य होगा यदि निर्यातक द्वारा दिया गया जवाब पूर्ण हो ।

(v) निर्यातक द्वारा दायर न किए गए उत्तर के अगोपनीय अंश एक ऐसा उदाहरण है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि उत्तर पूरा नहीं है और निजी व्यवहार अस्वीकार करने हेतु पर्याप्त है ।

(vi) नियम 16 में प्रावधान है कि जांच सम्पन्न करने से पूर्ण आवश्यक तथ्यों को उजागर किया जाए । इसलिए प्रारंभिक निष्कर्षों से पूर्ण आवश्यक तथ्यों को उजागर करने का प्रश्न नहीं उठता

(ii) **मैसर्स गुयांगडांग हांगचेंग कैमिकल्स कंपनी लि., चीन जनवादी गणराज्य के विचार**

(क) इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, जैसाकि निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन से देखा जा सकता है:-

(ख) 1998-99 को बेस वर्ष के रूप में लेते हुए जांचावधि के उत्पादन आंकड़े इस आरोप का समर्थन नहीं करते हैं कि शिकायतकर्त्ता उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । यदि शिकायतकर्त्ता पार्टी यह दावा करती कि उसकी कुल बिक्रियों में घाटा हुआ था, तो इसके उत्पादन, परिसम्पत्तियों, रोजगार और बिक्रियों की मात्रा इत्यादि पर क्षति का प्रभाव पड़ा होता पिछले तीन वर्षों में अन्य भारतीय उत्पादकों ने अपने उत्पादन में कमी दर्शायी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं के लिए उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर्शायी गई ।

(ग) यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में चीन के निर्यातक जांचकर्त्ता प्राधिकारी को सहयोग देने में असफल रहे, प्रतिवादी औपचारिक तौर पर अनुरोध कर रहा है कि उसके मामले में अलग से कार्रवाई की जाए जिसमें पाटन मार्जिन (यदि कोई हो) प्रतिवादी के समान उत्पाद की अपनी घरेलू एवं निर्यात कीमतों और उस पर लगने वाले विशिष्ट शुल्क की तुलना के आधार पर निकाला जाएगा ।

(घ) 1997-1998 की अवधि के दौरान जब उत्पादन तुलनात्मक रूप से 1990-00 के उत्पादन से कम था, शिकायतकर्त्ता पार्टी को बिक्रियों से अच्छी आमदनी प्राप्त हुई थी । इसका तात्पर्य यह हुआ कि शिकायतकर्त्ता पार्टी ने अपने उत्पादन कारोबार का विस्तार किया था और परिणाम स्वरूप वह कुछ वित्तीय संबंधी समस्याओं से घिर गया था ।

(ङ) कीमतों में 1.26% की गिरावट से शिकायतकर्त्ता पार्टी को पर्याप्त घाटा नहीं हुआ होगा । कीमत में मामूली अंतर आने से किसी उद्योग की लाभ कमाने की स्थिति बिगड़ कर घाटे वाली स्थिति नहीं हो सकती है इससे यह प्रदर्शित होता है कि शिकायतकर्त्ता पार्टी कथित पाटित आयातों से इतर समस्याओं से घिरी रही ।

(च) संबंधित उत्पाद के आयातों से शिकायतकर्त्ता पार्टी की बिक्रियों में मात्रा के रूप में कोई गिरावट नहीं आई । इसके अलावा, शिकायतकर्त्ता पार्टी के क्षमता उपयोग में भी वृद्धि का रूख रहा ।

(छ) प्रारंभिक निष्कर्ष और याचिका रोजगार, सम्पत्ति, निवेश एवं निर्यात निष्पादन, इत्यादि के बारे में साक्ष्य एवं प्रवृत्ति प्रस्तुत करने में असफल रहे ।

(ज) याचिकाकर्त्ताओं को पाटित आयातों के कारण हुई प्रत्यक्ष समस्याओं की तुलना में औद्योगिक विकास संबंधी समस्याएं हो रही हैं ।

(झ) दोनों उत्पादक प्रभावशाली निष्पादन दर्ज कर रहे हैं जैसाकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना जैसे वित्तीय विवरण अथवा कंपनी की रूपरेखा से देखा जा सकता है । ट्रांस्पेक विभिन्न रासायनिक उत्पादों जिसमें संबंधित उत्पाद और सल्फोम्साइलेट शामिल है जो कंपनी के कारोबार का 35% हिस्सा हैं, का एक प्रमुख उत्पादक है । इसके अलावा, अनेक अन्य रासायनिक उत्पाद भी ट्रांस्पेक के महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं । तथापि, ट्रांस्पेक की वित्तीय रिपोर्टों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि संबंधित उत्पाद की बिक्रियों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था । वस्तुतः ट्रांस्पेक पर बाहरी प्रतिस्पर्धा का कम दबाव है । बजाय इसके उसे अपने ही ढांचागत और वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है जो विश्व व्यापी मंदी से भी प्रभावित है । अत्यधिक लाभ कमाने की स्थिति में कंपनी ने यह महसूस किया था कि ट्रांस्पेक को संबंधित उत्पाद के चीनी आयातों से वास्तविक क्षति नहीं हुई थी ।

(ञ) दूसरा याचिकाकर्त्ता, देमोशा संबंधित उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है । इस कंपनी के वर्ष दर वर्ष संतोषजनक परिणाम थे ।

(ट) यह कोई संयोग नहीं है कि देमोशा तथा इसके प्रतियोगी ट्रांस्पेक अपने उत्पादन और क्षमता को बढ़ाते रहे और इस प्रकार वे वित्तीय वचनबद्धताओं और पर्यावरण संरक्षण संबंधी समस्याओं का सामना करते रहे ।

(ठ) पैरा जे.18 पर प्रारंभिक निष्कर्षों में यह बात नोट की गई है कि दोनों कंपनियों को पर्याप्त घाटा हुआ । यदि यह बात सच होती तो दोनों कंपनियों ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में ऐसे तथ्यों, खासकर संबंधित उत्पाद द्वारा किए गए उच्च प्रतिशत कारोबार को देखते हुए, को उजागर किया होता । इसके अलावा, इस बात से यह विश्वास नहीं होता है कि तीन वर्ष की अवधि में कीमतों में 5.5% तक की मामूली गिरावट के फलस्वरूप इतना बड़ा घाटा हुआ होगा । याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और निर्यातक द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार, 1997-98 में औसत चीनी सी आई एफ निर्यात कीमत वास्तव में 1998-99 की अवधि की सी आई एफ निर्यात कीमत से कम थी जो याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त घाटा हुआ पाया गया था ।

(ड) यदि कम बिक्री वसूली की वजह से क्षति हुई थी तो निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह मांग की है कि याचिकाकर्ताओं और निर्यातक द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया की जांच की जाए । संभवतः यह एक सबसे अधिक प्रभावशाली कारक है जिसने याचिकाकर्ताओं के लिए अन्य के साथ-साथ परेशानियां पैदा की ।

(ढ) इस समय दोनों याचिकाकर्ता परंपरागत जिंक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए संबंधित उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं । इसके विपरीत, निर्यातक सोडियम फारमल प्रोसेस का प्रयोग कर रहा है । विश्व स्तर पर यह बात मानी गई है कि जिंक प्रोसेस सोडियम फारमेट प्रोसेस से काफी मंहगी प्रक्रिया है ।

(ण) चूंकि चीन के असंख्य निर्यातक जांचकर्ता प्राधिकारी को सहयोग देने में असफल रहे, इसलिए प्रतिवादी औपचारिक तौर पर अनुरोध कर रहा है कि उसके मामले में अलग से कार्रवाई की जाए जिसके मामले में पाटन मार्जिन (यदि कोई हो) प्रतिवादी के समान उत्पाद के अपने घरेलू एवं निर्यात कीमतों और उस पर लगने वाले विशिष्ट शुल्क की तुलना के आधार पर निकाला जाएगा।

(iii) **आयातकों के विचारः**

(क) **मैसर्स मफतलाल बर्लिंग्टन इंड लि., नवसारी**

मैसर्स मफतलाल बर्लिंग्टन इंड लि., नवसारी ने बीजकों, लेडिंग बिल इत्यादि की प्रतियों समेत जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयातों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है । उन्होंने घरेलू स्रोतों से की गई संबद्ध सामान की खरीद के ब्यौरे भी प्रस्तुत किए हैं । तथापि, मैसर्स मफतलाल बर्लिंग्टन इंड लि., ने समान वस्तु, सामान्य मूल्य इत्यादि के बारे में कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया है ।

(ख) **मैसर्स के. जी. डेनिम लि., मेट्पल्लम**

मैसर्स के. जी. डेनिम लि. मेट्पल्लम ने सूचित किया है कि उन्होंने जांचाधीन अवधि अर्थात 1-4-99 से 31-3-2000 तक के दौरान सोडियम हाइड्रो-सल्फाइट का आयात नहीं किया है।

(ग) **प्राधिकारी द्वारा जांच**

3. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई हैं और इस मामले पर प्रभाव डालने वाले कारकों तथा नियमों के संदर्भ में उठाए गए मुद्दों पर विचार किया गया है और इस अधिसूचना में उचित स्थानों पर कार्रवाई की गई है ।

(घ) **प्राधिकारी द्वारा उजागर किए गए आवश्यक तथ्य**

4. प्रकटीकरण विवरण के प्रत्युत्तर में उठाए गए विचारों पर इसके नीचे के पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार विमर्श किया गया हैं जहां तक वे नियमानुसार संगत हैं और इस मामले पर प्रभाव डालते हैं ।

(क) **घरेलू उद्योग के विचार**

(i) इस बारे में किसी विरोधी पक्ष ने कोई विवाद नहीं किया है और इस संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि किए जाने की जरूरत है ।

(ii) प्रतिवादी निर्यातक द्वारा दायर किया गया उत्तर एकदम अपूर्ण एवं अपर्याप्त है ।

(iii) घरेलू उद्योग निर्यातकों द्वारा दायर अपूर्ण एवं अपर्याप्त उत्तर को निर्दिष्ट प्राधिकारी के अस्वीकार करने के निर्णय की सराहना करता है । याचिकाकर्त्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे प्रारंभिक निष्कर्षों में मूल्यांकित पाटन मार्जिन की पुष्टि करें ।

(iv) क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत याचिकाकर्त्ताओं के विभिन्न तर्क यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पादकों के पाटन से वास्तविक क्षति हुई है ।

(v) घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे अमरीकी डालर के रूप में परिवर्तनीय रूप में अंतिम शुल्क की सिफारिश करें ताकि विनिमय दर में परिवर्तनों के कारण संरक्षण की मात्रा में कमी न हो सके ।

(ख) **मैसर्स गुवांगडांक हांगचेंग कैमिकल्स कं.लि., चीन जनवादी गणराज्य**

(i) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रदत उचित कारण पर विचार किए बिना उसे उचित सुनवाई के अधिकार से वंचित करने के लिए मात्र बहाने के रूप में समय सीमा का प्रयोग किया है, इस प्रकार की जांच एक-दम गलत है और यह जांच अनुचित और भेदकारी प्रतीत होती है । हितबद्ध पक्ष द्वारा समय सीमा बढ़ाने की मांग करना एकदम कानूनी, उचित एवं विचारणीय है ।

(ii) प्राधिकारी ने पाटन परिकलन के बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है ।

(iii) यद्यपि भारतीय जांच प्राधिकारी ने कहा है कि अंतिम निर्धारण हेतु क्षति के बारे में अनुबंध-3 में इंगित सभी संकेतकों पर विचार किया गया था, तथापि क्षति के होने के साक्ष्यों की पुष्टि नहीं की गई है ।

(iv) प्रतिवादी के सहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी को भारत में संबंधित उत्पाद के बाजार विकास का सकारात्मक तरीका ढूंढ़ने के लिए प्रतिवादी को एक पृथक इकाई मानना चाहिए । उदाहरणार्थ, इसमें केवल प्रतिवादी की ओर से मात्रा के रूप में और/अथवा कीमत के रूप में कोई वचनबद्धता शामिल होगी । इससे प्रतिवादी द्वारा की गई वचनबद्धता के बारे में वह नियमित निर्यात सूचना भेजने में भारतीय प्राधिकारी को और अधिक सहयोग देगा ।

(ङ.) विचाराधीन उत्पाद

5(क) वर्तमान पाटनरोधी जांच में शामिल उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य मूल का अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा जाएगा)। सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (रसायनिक फारमूला $Na_2 S_2 O_4$) एक सफेद अथवा भूरा सफेद कादसेलाइन पावडर है जिसमें तीक्ष्ण गंध वाले विजातीय दृष्टिगोचर कण नहीं होते हैं। सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे वस्त्र, साबुन, शीरा, धातुओं में ग्ल्यू, धातु सल्फाइट कम करने वाले तत्व, ऊन धागे इत्यादि में सम्मिश्रण में किया जाता है। वर्तमान जांच में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के सभी रूप शामिल हैं। सोडियम हाइड्रोसल्फाइट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमा शुल्क उप-शीर्ष सं. 2831.10 और 2832.10 के तहत वर्गीकृत है तथापि, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात एवं इसकी निकासी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के सीमा शुल्क उप शीर्ष 2932.10, 2932.19 और 2932.20 के तहत भी की जा रही है।

(ख) तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

किसी हितबद्ध पक्ष ने विचाराधीन उत्पाद और वर्तमान जांच के दायरे के बारे में कोई विवाद नहीं किया है । अतः प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं ।

५. **समान वस्तुएं**

(क) पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में यह स्पष्ट किया गया है कि समान वस्तुओं का तात्पर्य एक ऐसी वस्तु से है जो जॉच की जा रही वस्तु से हर दृष्टिकोण में समान अथवा समरूप है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में अन्य ऐसी वस्तु से तात्पर्य है जिसमें जांच की जा रही वस्तुओं से मिलते-जुलते सभी गुण मौजूद हैं ।

(ख) याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित या बिक्री किया गया सोडियम हाइड्रोसल्फाइट और संबद्ध देश से आयातित वस्तु का उपयोग भारतीय ग्राहक अदल-बदलकर कर रहे हैं।

(ग) इस तर्क पर कोई विवाद नही है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया जा रहा सोडियम हाइड्रोसल्फाइट आयात किए जा रहे उत्पाद से काफी मिलता-जुलता है और यह नियम 2 (घ) की परिभाषा के अधीन चीन जनवादी गणराज्य से आयातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का वाणिज्यिक और तकनीकी दोनों रूप से प्रतिस्थापनीय है ।

उपर्युक्त क परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी समान वस्तु संबंधी प्रारंभिक जॉच परिणाम की पुष्टि करते हैं ।

घरेलू उद्योग

६. (क) पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे घरेलू उत्पादको से है जो समान वस्तु के विनिर्माण मे और उससे जुड़े कार्यकलापो

मे पूर्ण रूप से कार्यरत हैं या जिनका उक्त वस्तु का संचयी उत्पादन उस वस्तु क कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग है बशर्ते कि ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित न हों या वे स्वयं उसका आयात न कर रहे हो, ऐसे मामले मे इस प्रकार के उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा ।"

(ख) घरेलू उद्योग की परिभाषा को नियमावली के नियम 5 द्वारा और स्पष्ट किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः-

.....के आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया माना जाएगा अगर इसका समर्थन वे घरेलू उत्पादक करते हैं जिनका सचयी उत्पादन याचिका का समर्थन अथवा विरोध, जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के पचास प्रतिशत से अधिक है ।"

(ग) यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मै0 ट्रांसपेक इंडस्ट्री लिमि, गुजरात और मै0 देमोशा कैमिकल्स लिमि., मुम्बई द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गयी है । याचिकाकर्त्ताओं का कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है और इसलिए उक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति में हैं ।

चूँकि घरेलू उद्योग की स्थिति के सबंध में किसी हितबद्ध पार्टी ने कोई तर्क नहीं दिए हैं इसलिए प्राधिकारी जांच मे घरेलू उद्योग के प्रतिनिधित्व के लिए

याचिकाकर्त्ताओं की स्थिति के संबंध में अपने प्रारंभिक जांच परिणाम की पुष्टि करते हैं ।

(ग) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

8. सामान्य मूल्य

सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचारों पर उपरोक्त पैरा 2 में विचार किया गया है और संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए इसे यहाँ पुनः दोहराया नहीं गया है ।

(i) मै0 ग्वांगदोंग हांगचेंग कैमिकल्स कं0 लि0, चीन जनवादी गणराज्य

(क) जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों मे उल्लेख किया गया है प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी, प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के बाद मै0 ग्वांगदोंग हॉगचेंग कैमिकल्स कं0 लि0, चीन जनवादी गणराज्य से प्राप्त हुआ था । मांगी गयी सूचना कुल मिलाकर अपूर्ण थी इसलिए प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद उनसे अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था । चूँकि निर्यातक को दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर कोई सूचना नहीं मिली इसलिए दिनांक 13 मार्च, 2001 के पत्र द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए दूसरा अवसर प्रदान किया गया था । निर्यातक ने दिनांक 20 मार्च, 2001 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया जिसे ज्यादातर अपूर्ण, बेमेल तथा अपर्याप्त पाया गया । तदनुसार निर्यातक को 3 जुलाई, 2001

तक संपूर्ण सूचना प्रदान करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया था । इसका उत्तर 9 जुलाई, 2001 को प्राप्त हुआ । यह उत्तर भी असंगत, बेमेल तथा अपर्याप्त पाया गया । प्राधिकारी द्वारा पायी गयी विभिन्न कमियों के संबंध म प्राधिकारी ने निर्यातक को अपनी टिप्पणियॉ भेजी और दिनांक 23.7.2001 के अपन पत्र द्वारा उन पर निर्यातक की टिप्पणियॉ मांगी गयी थी । मै0 गुआंगदोंग हॉगचेग कैमिकल्स कं0 लि0, चीन जनवादी गणराज्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करन के बावजूद यह देखा गया है कि उनकी सूचना अभी भी निम्नलिखित संदर्भो म बमल और त्रुटिपूर्ण है:-

(i) निर्यातक ने घरेलू बाजार मे सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की अपनी बिक्री के ब्यौर का सौदा- वार प्रस्तुत किया है । यह देखा गया है कि घरेलू बाजार म सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की औसत बिक्री वसूली सी एन वाई ~~xxx~~ प्रति मी.टन से सी एन वाई ~~xxx~~ प्रति मी.टन के बीच रही है । सौदे-वार घरेलू बिक्री वसूली यह दर्शाती है कि जांच अवधि के दौरान न्यूनतम बिक्री वसूली की तुलना मे उच्चतम बिक्री वसूली लगभग 5837 गुणा अधिक है । औसत बिक्री वसूली की तुलना में इस प्रकार का असाधारण बदलाव बहुत सारे सौदों में देखा गया है । दिनांक 23.7.2001 के पत्र द्वारा कंपनी को इससे अवगत करा दिया गया था और उनकी टिप्पणियाँ मांगी गयी थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणी के प्रत्युत्तर म मै0 ग्वांगदोंग हॉगचेंग कैमिकल्स कं0 लि0, चीन जनवादी गणराज्य ने दावा किया ह कि वे अपने उत्तर में कोई अतर नही पाते हैं । उन्होंने अपने भारतीय वकील स

उस उत्तर की एक प्रति फैक्स करने के लिए अनुरोध किया था ताकि अंतर का पता लगाया जा सके । तदनुसार निर्यातक के भारतीय वकील को खुद बुलाया गया और इस प्रकार के उल्लिखित अंतर को उनकी जानकारी मे लाया गया । निर्यातक द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(ii) कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना मे उसकी उत्पादन लागत के संबंध मे प्रश्नावली के उत्तर मे विभिन्न जगहो पर और बाद के विभिन्न उत्तरों मे काफी अंतर है । प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 8,9 और 10 में दावाकृत उत्पादन लागत सी एन वाई ·~~xxx~~ प्रति मी.टन दशाई गयी है जबकि इसी सारणी मे लागतों के अलग-अलग मदो का कुल योग ·~~xxx~~ प्रति मी.टन उत्पादन लागत दर्शाता है । इसके अलावा, दिनांक 9 7.2001 के उनके पत्र द्वारा बतायी गयी उत्पादन लागत के विश्लेषण से जॉच अवधि के लिए लागत प्रति इकाई सी एन वाई ·~~xxx~~ प्रति मी.टन और गत लेखा वर्ष के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की लागत सी एन वाई ·~~xxx~~ प्रति मी.टन प्रदर्शित होती है । इससे दो क्रमागत वर्षो के बीच उत्पादन लागत मे 152 % का एक बड़ा अंतर प्रदर्शित होता है । तथापि, उत्पादन लागत की अलग-अलग मदो के कुल योग का विवरण यह दर्शाता है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की कारखाना द्वार पर उत्पादन लागत सी एन वाई ~~xxx~~ प्रति मी.टन है जो कि विवरण मे किए गए उत्पादन लागत के दावे से काफी अलग है ।

(iii) प्राधिकारी ने यह पाया है कि परिशिष्ट-7 मे मुहैया करायी गयी सूचना में व्यापक अंतर था । स्टॉक और उत्पादन ब्यौरा कुल बिक्री के साथ मेल नहीं खाता है ।

इसे निर्यातक की जानकारी मे लाया गया था । निर्यातक को सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की खरीद, अगर कोई है, का बीजक-वार ब्यौरा देने के लिए निर्देश दिया गया था । इसके उत्तर में निर्यातक ने अंतरों की पुष्टि की, किन्तु बाहर से की गयी खरीद के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए ।

(iv) चूंकि घरेलू उद्योग ने निर्यातक के अनुरोधों के अगोपनीय अंश के लिए लिखित अनुरोध किया था इसलिए प्राधिकारी ने इसे प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक से बार-बार अनुरोध किया था । निर्यातक द्वारा दिनांक 30.7.2001 को प्रस्तुत किए गए अगोपनीय अंश मे निम्नलिखित सूचना नही है जोकि निर्णायक जानकारी है ।

- सही होने का प्रमाण पत्र
- कंपनी का कानूनी स्वरूप और संविधि
- मालिकों/शेयर धारको की सूची
- मुख्य कार्पोरेट आफिस का निगम पता, भारत मे प्रतिनिधि कारखानों का पता
- संबंधित सरकार द्वारा दिया गया प्रोत्साहन
- विनिर्देशनो सहित पूर्ण विवरण
- उत्पादन लागत के निर्धारण के बारे मे स्पष्टीकरण
- वित्तीय एव लागत लेखा प्रणाली के बारे मे स्पष्टीकरण
- जाच अवधि व गत दो वर्षो का लाभ/हानि लेखा और तुलन पत्र
- यह पाया गया है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइट 88 % और 90 % की घरलू बाजार म बिक्री के बारे मे अगोपनीय अंश मे कोई ब्यौरे नही दिए गए हैं ।

- निर्यातक स अनुरोध किया गया था कि मान्यता प्राप्त व्यापारी नामत मै0 हुंग सुंग ट्रेडिंग कपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं । इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

- यह नोट किया गया है कि मान्यता प्राप्त व्यापारी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी का उत्तर नहीं दिया हैं ।

(२१) ऊपर यथा-उल्लिखित कमियो/विसंगतियों/असंगतियों को देखते हुए और सामान्य मूल्य क निर्धारण के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मागी गयी महत्वपूर्ण सूचना के अभाव मे प्राधिकारी का मानना है कि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना कंपनी के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त है । प्राधिकारी रिकार्ड मे उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विचार करते हुए परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित मानते हैं ।

(II) चीन के अन्य निर्यातक

२२. चीन के किसी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में व निर्धारित तरीके से प्राधिकारी को उत्तर नही दिया है । प्राधिकारी रिकार्ड मे उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विचार करते हुए परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित मानते हैं ।

10 निर्यात कीमत

(क) निर्यात कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग, निर्यातको, आयातको और अन्य हितबद्ध पार्टियो के विचारों पर उपर्युक्त पैरा 2 में कार्रवाई की गयी है और उसे संक्षिप्तता के विचार से यहाँ पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ख) मै0 ग्वांगदोंग हॉगचेंग कैमिकल्स ने निर्यात कीमत के निर्धारण से संबद्ध सूचना प्रस्तुत की है । उक्त निर्यातक ने जाँच अवधि (पी ओ आई) के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के ब्यौरे प्रस्तुत किए है । निर्यातक ने विदेशी भाडा , विदेशी बीमा, आदि के लिए समायोजना का दावा किया है । उस पर प्राधिकारी ने विचार किया है । इस प्रकार भारित औसत कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत ~~xxxx~~ अमरीकी डालर/मी.टन बैठती है ।

पाटन मार्जिन - सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच तुलना

(क) तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि के दौरान की गयी बिक्रियों के संबंध में की जाएगी । जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी, अंतर में शामिल हैं - बिक्री की शर्तें, करारोपण, व्यापार के स्तर, मात्राएं,

वास्तविक विशेषताएं तथा कोई अन्य अंतर जो कीमत तुलनीयता का प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं ।"

(ख) डम्पिंग मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियो के विचारो पर उपर्युक्त पेरा 2 मे कार्रवाई की गयी है और उसे संक्षिप्तता के विचार से यहॉ पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ग) प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित करने क लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I मे यथा उल्लिखित प्रावधानो और इस संबंध मे अनुसरण की जा रही परिपाटी का अनुपालन किया है । ऊपर यथा उल्लिखित निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने मै0 ग्वांगदोग हॉगचेंग कैमिकल्स से सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के सभी निर्यातो क मामले मे पाटन मार्जिन 71.5 % के रूप में अभिकलित किया है ।

(घ) मौजूदा जांच में चीन जनवादी गणराज्य से किसी अन्य निर्यातक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था । प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के अन्य निर्यातको को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रस्तुत करने क लिए अवसर प्रदान किया । प्राधिकारी ने भारत स्थित चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को भी पत्र लिखा । तथापि, किसी भी अन्य निर्यातक ने मौजूदा जांच से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है । चीन जनवादी गणराज्य के अन्य निर्यातको (जिन्हे अन्य निर्यातक कहा गया है) से कोई जबाब न मिलने की स्थिति मे इन निर्यातको के मामले में पाटन मार्जिन का निर्धारण विचारित सामान्य मूल्य तथा उचित निर्यात कीमत जैसा कि मैसर्स गुआंगदोंग

हांगचैंग कैमिकल्स चीन जनवादी गणराज्य द्वारा किए गए निर्यातो स इंगित होता है, के आधार पर किया गया है । इससे चीन के अन्य निर्यातकों के मामले में पाटन मार्जिन निवल निर्यात कीमत का ४५.६८% प्रदर्शित होता है ।

(झ) क्षति तथा कारणात्मक संबंध

13 प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण में क्षति से संबंधित सभी संकेतकों को हिसाब मे लिया है । इसमें पाटनरोधी नियमों के अनुच्छेद II के तहत विनिर्दिष्ट क्षति के निर्धारण के सिद्धांतो मे यथा विहित सभी संगत मापदण्डों की जांच शामिल थी । प्राधिकारी ने (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु की घरेलू बाजार कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की जांच की है । इस प्रयोजन हेतु प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संदर्भ में अथवा समग्र रूप में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । कीमतो पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के दृष्टि से प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या पाटित आयातों से भारत मे समान उत्पाद की कीमत की तुलना मे कीमतों में काफी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों से अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी आयी है अथवा कीमतों में वृद्धि होने से रोका गया है जो अन्यथा काफी हद तक बढ गयी होती । घरेलू उद्योग पर पाटित आयातो के प्रभाव की जांच करते समय घरेलू उद्योग के लिए बिक्रियो (वास्तविक अथवा संभावित) में गिरावट, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, स्टॉक, बिक्री कीमत, लाभ प्रदत्ता, निवेशों पर आय, पाटन मार्जिन की

मात्रा, नकद प्रवाह (वास्तविक और सभावित), राजगार, मजदूरी, वृद्धि, निधियां एकत्र करने की क्षमता, इत्यादि जैसे मानदण्डों पर विचार किया गया है । प्राधिकारी न क्षति रहित कीमत निकालने के लिए घरेलू उद्योग की गहन जांच की है । क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने संगत कारको जैसे कच्ची सामग्री का उपयोग एवं उसकी उपयोगिता, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किया गया व्यय, निवेश एवं क्षमता उपयोग का उचित विश्लेषण किया है । घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय याचिकाकर्त्ताओं द्वारा लगायी गयी पूँजी पर हुई उचित आय को भी ध्यान म रखा गया है । क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की कारखानागत क्षति रहित कीमत की तुलना आयातित सामानो की पहुँच कीमत के साथ की गयी है ।

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से सोडियम हाइड्रोसल्फाईट के आयातो की मात्रा नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम मात्रा से अधिक है और भारत म सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के कुल आयातो की तुलना में चीन जनवादी गणराज्य के आयातो के हिस्से में वृद्धि हुई है । इसके अलावा, प्राधिकारी यह बात भी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों ने भारत में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का निर्यात चीन जनवादी गणराज्य मे सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है और पाटन मार्जिन बहुत अधिक है तथा चीन की निर्यात कीमत मे भारी गिरावट आयी है । चीन जनवादी गणराज्य से भारत को हुए सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयातो की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम थी । इससे घरेलू उद्योग

अपनी बिक्री कीमतें घटाने के लिए बाध्य हुआ और उसे अपनी बिक्री कीमतो को उस उचित स्तर तक बढ़ाने से रोका गया जो उत्पादन लागत मे आयी वृद्धि के अनुरूप थी. इसके फलस्वरूप संबद्ध सामान की बिक्री से घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में काफी कमी आयी । इस प्रकार आयातों से बाजार मे कीमतों में पर्याप्त कमी आयी और घरेलू उद्योग की कीमतों पर गिरावट का प्रभाव था । माल की स्टाक सूची म वृद्धि प्रदर्शित हुयी । यद्यपि कम कीमतो पर अत्यधिक बिक्री के कारण जांच अवधि के अंत तक इसमे मामूली गिरावट रही । यद्यपि रोजगार में कोई नकारात्मक रूख प्रदर्शित नहीं होता है तथापि, इस श्रम के बारे में बढ़ते उत्पादन स्तर और श्रमिको के संबंध में कंपनी और भारत सरकार की नीति के प्ररिप्रेक्ष्य में देखा जाना है । यद्यपि उत्पादन, बिक्रियाँ और क्षमता उपयोग सकारात्मक रूख प्रदर्शित करते हैं तथापि प्राधिकारी यह बात नोट करत हैं कि बढ़त हुए घाटे को देखते हुए, इससे घरेलू उद्योग को बहुत कम मदद मिली । अधिक उत्पादन और बिक्रियो के बावजूद लाभप्रदत्ता में काफी कमी आयी । यद्यपि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार आया तथापि इससे पुनः यह दबाव पड़ता है कि (अधिक घाट को देखते हुए) घरेलू उद्योग को, उत्पादकता के इसी स्तर को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुचित कीमत पर पाटित आयातो के खिलाफ उचित संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए । घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति बिगड़ी है और निवेशों पर आय न केवल नकारात्मक हो गयी है बल्कि आय के नकारात्मक रूख में लगातार वृद्धि प्रदर्शित हुयी है । इस देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुयी है और घरेलू उद्योग को यह क्षति चीन जनवादी गणराज्य से हुए सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

(ध) भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

(क) सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार मे ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः बहाली करना है जो कि देश के सामान्य हित मे है ।

(ख) यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पादो के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु पाटनरोधी उपायो से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नही होगी । विशेष तौर पर तब जब शुल्क की उगाही ऐसी राशि तक सीमित कर दी जाती है जो कि याचिकाकर्त्ता कंपनी को हुयी क्षति की पूर्ति करने के लिए जरूरी है । इसके विपरीत, पाटन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभ समाप्त होंगे, याचिकाकर्त्ता कंपनी के ह्रास को रोका जाएगा और सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने मे मदद मिलेगी । पाटनरोधी उपायो से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नही होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पडेगा ।

(ग) याचिकाकर्त्ता कंपनी को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क की सीमा का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता कंपनी के लिए क्षमता उपयोग के

ईष्टतम स्तर पर उत्पाद की ईष्टतम लागत पर विचार करते हुए याचिकाकर्त्ता कंपनी के लिए भारत मे सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की क्षति-रहित बिक्री कीमत पर विश्वास किया है

(घ) प्रकटन विवरण के उत्तर में निर्यातक मे0 गुआंगदोंग हांगचेंग कैमिकल्स कं0 लि0 चीन जनवादी गणराज्य ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि भारत मे संबंधित उत्पाद के बाजार विकास की समस्या के समाधान हेतु कोई रचनात्मक उपाय ढूंढने के लिए उक्त निर्यातक के मामले पर अलग से विचार किया जाए ताकि केवल उक्त निर्यातक द्वारा गुणवत्ता और/अथवा कीमत के रूप मे कोई वचनपत्र भी शामिल है । वह निर्यातक प्रस्तुत किए गए वचनपत्र के सबंध म नियमित निर्यातक संबधी सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय प्राधिकारी को और अधिक सहयोग दगा इसके परिणामस्वरूप प्राधिकारी ने निर्यातक का कीमत सबंधी वचनबद्धता क लिए निर्धारित प्रपत्र भेजा । यद्यपि निर्यातक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया तो भी प्राधिकारी न अपनी ओर स निर्यातक का प्रस्तावित वचनपत्र के लिए आग्रह किया । तथापि, निर्यातक ने दिनाक 11 सितम्बर, 2001 को अपने ई-मेल के द्वारा कीमत संबंधी प्रस्तावित वचनपत्र देने की अनिच्छा जाहिर की है और सूचित किया है कि इस समय इस प्रकार का वचनपत्र व्यवहार्य नही लगता है क्योकि जांच की अवधि के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे इस उत्पाद की कीमतों मे काफी कमी आयी है ।

(ङ) **निष्कर्ष**

15 प्राधिकारी उपर्युक्त पर विचार करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

(क) संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ ।

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

(ग) घरेलू उद्योग को हुई क्षति चीन जनवादी गणराज्य के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई है ।

(घ) हालाँकि एक निर्यातक नामतः मैसर्स गुआंगदोंग हांगचेंग कैमिकल्स लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ने कीमत संबंधी वचनपत्र देने की अपनी इच्छा जाहिर की थी परन्तु प्राधिकारी इस संबंध में छानबीन नहीं कर सके क्योंकि बाद में निर्यातक ने अपनी अनिच्छा जाहिर की है ।

(ट) अंतिम निष्कर्ष

16 प्राधिकारी उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि:

(क) प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के समान अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने पर विचार किया है जिसे यदि लागू किया जाए तो उससे घरेलू उद्योग की क्षति दूर होगी । इस प्रयोजन के लिए याचिकाकर्त्ता कंपनियों की जांच अवधि के लिए निर्धारित की गयी क्षति रहित बिक्री कीमत की तुलना आयातों की औसत पहुँच कीमत के साथ की गयी थी । जहां कहीं यह अंतर पाटन मार्जिन से कम पाया गया, वहां पाटन मार्जिन से कम शुल्क लगाने की सिफारिश की गयी है ।

(ख) उपरोक्त के अधीन, प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के तहत आए चीन जनवादी गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के सभी आयातों पर

निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क संबद्ध वस्तु के उन आयातों पर भी लागू होगा जो हांगकांग के जरिए किए जाते हो बशर्ते कि इन मामलों में मूलता का देश चीन जनवादी गणराज्य हो । पाटनरोधी शुल्क की राशि नीचे सारणी में दिखायी गयी राशि होगी:-

क्र.सं	देश/निर्यातक	शुल्क की राशि (अमरीकी डालर/किग्रा)
1.	**चीन जनवादी गणराज्य**	
	मैसर्स गुआंगदोंग हॉगचेंग कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड	216.33
2.	अन्य सभी निर्यातक	294.17

17. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 या 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्कों सहित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा ।

18. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उक्त अधिनियंयम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2001

Final Findings

Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of Sodium Hydrosulphite from China P.R.—Final Findings.

No. 39/1/2000-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:

(i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide Notification No. 39/1/2000-DGAD dated the 2nd January, 2001 with regard to Anti Dumping investigations concerning imports of Sodium Hydrosulphite from China P.R. and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

(ii) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the Preliminary Findings within forty days of the date of the letter;

(iii) The Authority also forwarded a copy of the Preliminary Findings to the Embassy of People's Republic of China in New Delhi with a request to furnish their views on the Preliminary Findings;

(iv) The Authority held a public hearing on 29th May, 2001 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of M/s. Transpek Industry Limited, Gujarat and M/s. Demosha Chemicals Limited, Mumbai,. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions thus received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding;

(v) The Authority made the public file available to all interested parties containing non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties, for inspection, upon request;

(vi) Arguments raised by interested parties before announcing of Preliminary Findings, which have been brought out in the Preliminary Findings notified earlier have not been repeated herein for sake of brevity. However, arguments raised by the interested parties have been appropriately dealt with in the Preliminary Findings and/or these findings;

(vii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;

(viii) Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 1999 to 31st March, 2000;

(ix) **** in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules.

B. **VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY:**

2. The petitioner, exporters and importers have expressed their views in the same are briefly mentioned below:-

(I) **VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY:**

(a) **ON DUMPING:**

(i) It is own admission of the exporter that the company did not provide full information at the first place. The exporter itself has requested the Designated Authority to consider the newly provided data to re-calculate its own dumping margin.

(ii) China is a non-market economy country. The exporter is required to establish why its information should be relied upon by the Designated Authority in terms of the parameters laid down.

(iii) It is submitted that response has been filed by the exporter only. There is no response by the trader in Hong Kong. Neither export price can be established by the company nor the company can establish price adjustments and offer verification for the traders when the trader has not responded. The price at which the company has sold to the Hong Kong company cannot be treated as "export price" unless the Hong Kong based company responds to the Designated Authority.

(iv) The Authority is required to consider the expenses on account of freight from China plant to Chinese port, Commission, Inland freight, Overseas Freight, Marine Insurance, Port expenses, Credit Cost, any other services rendered by the Chinese/ Hong Kong based company.

(v) The petitioners have given detailed comments on the issue of response filed by the sole responding exporter, point-wise on various appendix of the questionnaire, which are also being relied upon.

(b) **ON INJURY AND CAUSAL LINK:**

(i) Imports from China have increased very significantly.

(ii) Market share of imports from China have increased, which has resulted in decline in market share of the domestic industry.

(iii) Export Price in US$ term from China has significantly declined. It is admitted by the exporter also that export prices have declined. This is in spite of increase in the cost of production in the same period.

(iv) Though production, capacity utilization and sales volume of the subject goods has increased in respect of petitioners, the same is required to be seen along with the prices at which the goods were sold and the resulted impact on profitability. Mere increase in production, sales and capacity utilization does not mean that there is no injury. Higher production, capacity utilization and sales resulted in higher financial losses to the petitioners.

(v) Though sales volume of the domestic industry increased, its market share declined. Thus, the increased demand was increasingly met by the imports.

(vi) The selling prices of the petitioner companies declined from 100 (indexed) to 89.23. The selling prices in real terms declined from US$ 1215.37 PMT to US$ 1084.45 PMT, whereas, the landed value of imports declined from US$1008.90 to US$966.15. Thus, the landed price of imports was significantly below the selling price of the domestic industry, which resulted in significant increase in the volume of imports (from 797 MT in 1996-97 to over 3000 MT in 1999-00). The petitioners have further submitted that complete information on volume of imports from China is not available as the importers have resorted to reporting the imports under a number of Custom Classifications.

(vii) Increase in cost of production and decline in selling price have resulted in severe losses to the domestic industry. Exporter themselves admitted clearly that profits have been decreased resulting in injury to domestic industry.

(viii) The landed value of imported material is significantly below the selling price causing severe price undercutting in the Indian market.

(ix) The landed value of imported material is significantly below the cost of production and fair selling price of the domestic industry, causing severe price suppression and depression in the Indian market.

(x) The employment with both the companies did not increase in spite of substantial increase in production due to poor operating levels. However, the domestic industry has claimed that it is finding it difficult to hold onto employment due to the poor operating levels.

(xi) The petitioners have claimed that while their cost of production increased, the prices could not be increased due to dumped imports. The imports were having significant price suppressing and depressing effect on the prices in the Indian market.The significant price undercutting would result in significant decline in sales, should the present trend of prices continue.

(xii) Higher production resulted in higher productivity. However, the improved productivity did not add to the profitability. The industry rather suffered losses.

(xiii) The declining profitability and mounting losses to the domestic industry have resulted in negative return on investments for the domestic industry.

(xiv) The domestic industry is not able to raise fresh capital for new investments or additions due to negative profitability and return on investment on present investments made in the industry.

(xv) The wages per employee have shown improvement as the company had to effect wage increases to ensure productivity. The petitioners have argued that any attempt to restrict wages would have very adversely affected the productivity and hence production of the domestic industry.

(xvi) Cash flow of the domestic industry from operating activities declined significantly

(xvii) The impact of export performance if any, whether favourable or adverse has not been loaded on to various economic parameters, information on which has been provided by the petitioners. Petitioners have not claimed decline in production as a parameter of injury - and hence volume of exports is irrelevant.

(xviii) The exporter has blamed certain related industrial development problems, without elaborating on what these are and how these affected the domestic industry.

(c) **ON OTHER ISSUES:**

(i) The response of the exporter has been significantly delayed. Acceptance of information at such a late stage in the proceeding is not only against the interest of the domestic industry, but also against the principle of natural justice. No other investigating authority in the world accepts such delayed responses. Accordingly, the untimely response filed by the exporter should be rejected.

(ii) The non-confidential version of the response filed by the exporter is grossly deficient Further, should there be a difference in the Non confidential and confidential version of the response, the confidential version of the response is required to be rejected to such an extent in accordance with the rules.

(iii) Mere responding to the Designated Authority does not imply Cupertino.

(iv) Individual treatment is feasible only if response provided by exporter is complete.

(v) Non confidential version of response not filed by the exporter is one such example to show that the response is not complete and is sufficient to reject individual treatment

(vi) Rule 16 contemplates disclosure of essential facts before concluding the investigations. So question of disclosure cannot did not arise before preliminary findings.

(II) **VIEWS OF M/S. GUANGDONG ZHONGCHENG CHEMICALS CO., LTD., CHINA P.R.:**

(a) There is no evidence that the domestic industry has suffered material injury, as may be seen from the performance of the domestic industry in terms of the following parameters.

(b) Taking 1998-99 as base year, the production data during the Period of Investigation does not support the allegation that the complaining industry suffered material injury. In case the complaining party claimed that its total sales were at loss, its production, inventory, employment and sales quantities, etc., should have been affected by "injury" Over the last three years, other Indian producers had shown a decrease in production, but a good increase in production for the petitioners.

(c) Given that a large number of Chinese exporters failed to co-operate with the investigating Authority, the Respondent is officially requesting to be treated individually, in which, dumping margins (if any), shall be made on the comparison of the Respondent's own domestic and export prices of like product, and the duty specific to it

(d) During the period of 1997-1998 when production was comparatively lower than 1990-00, the complaining party achieved good returns on sales. This means that the complaining party had expanded its production out put and consequently was burdened with some financially related problems

(e) A drop of 1.26% in prices could not have caused the complaining party a significant loss Marginal variance in price could hardly affect an industry from a profit earning position to a loss-making situation This shows that the complaining party encountered problems other than the alleged "dumped" imports.

(f) The imports of the product concerned did not depress the sales of the complaining party in terms of quantities. Further, the complaining party's capacity utilization also shows an increasing trend.

(g) The Preliminary Findings and the petition failed to present evidence and the trend regarding employment, inventory, investment and export performance, etc,

(h) The petitioners are experiencing related industrial development problems rather than problems caused directly by "dumped" imports.

(i) Both the producers are in effect recording an impressive performance, as may be seen from the publicly available information, such as financial statements or company's profiles. Transpek is a leading producer of various chemical products with production of the product concerned and sulphoxylate that make up 35% of the company's turnover. In addition, a range of other chemical products also makes up the core business activities of Transpek. However, in Transpek financial reports, nowhere was there a mention that sales of the product concerned suffered a great loss. Transpek is actually facing less pressure from external competition and is rather facing its own structural and financial burdens that were coupled with a global recession. In a situation of an increased profit earnings, the company felt that Chinese imports of the product concerned had not caused material injury to Transpek.

(j) The other petitioner, Demosha is the second largest producer of the product concerned. This company also had satisfactory results year after year.

(k) It is of no accidence that Demosha as also its "competitors" Transpek kept on expanding production and capacity, thus facing financial commitments and environment protection rules.

(l) Preliminary Findings at Para J.18 noted that both companies suffered substantial losses. If it were true, both companies Annual Reports would have disclosed such facts, especially given the high percentage of turnover made up by the product concerned. Further, it is hard to be convinced that such a marginal downward price movement by 5.5% over a three year

period could have resulted in substantial losses. According to data presented by the petitioners in the petition and the information gathered by the exporter, the average Chinese CIF export price in 1997-98 was actually lower than the period of 1998-99 when the petitioners were found to have suffered substantial losses.

(m) If "injury" were existed because of "low sales realization", the exporter has demanded that the Designated Authority should examine the production process used by the petitioners and the exporter. This is perhaps one of the most influencing factors that had caused problems, among other, to the petitioners.

(n) Both petitioners are at present producing the product concerned using conventional "Zinc Process". On the contrary, the exporter is using "Sodium Formal Process". It has been recognized worldwide that " Zinc Process" is much more costly than "Sodium Format Process".

(o) Since a large number of Chienese exporters failed to co-operate with the investigating authority, the respondent is officially requesting to be treated individually in which dumping margins if any shall be made on the comparison of the respondent own domestic and export prices of like product and duties specific to it.

(III) **VIEWS OF IMPORTERS:**

(a) **M/S. MAFATLAL BURLINGTON INDUSTRIES LTD., NAVSARI**:

M/s. Mafatlal Burlington Industries Ltd., Navsari. has furnished details of imports of the subject goods during the Period of investigation along with copies of Invoices , bill of lading etc. They have also submitted details of purchases of the subject Goods from domestic sources . However , M/s. Mafatlal Burlington Industries. Ltd., has not raised any other issues regarding like article, Normal Value etc.

(b) **M/S. K G DENIM LTD., METTUPALAYAM**:

M/s. K G Denim Ltd., Mettupalayam has informed that they have not imported Sodium Hydrosulphite during the period under investigation i.e., 01.04.1999 to 31.3.2000.

C. **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**:

3. The submissions made by the petitioners, exporters, importers and other interested parties have been examined and issues raised with reference to the rules and having a bearing on this case have been considered and dealt with at appropriate places in the notification.

D. **DISCLOSURE OF ESSENTIAL FACTS MADE BY THE AUTHORITY**:

4. The views raised in response to the disclosure statement are discussed in the paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing on the case.

(a) **VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

(i) No arguments have been raised by any opposing parties with regard to product under consideration, Like Articles and Domestic Industry and the Preliminary Findings are required to be confirmed in this regard.

(ii) The response filed by the responding exporter is grossly incomplete and insufficient.

(iii) The Domestic Industry appreciate the decision of the Designated Authority to reject the incomplete and insufficient response filed by the exporters. The petitioners requested the Designated Authority to confirm the dumping margin assessed in the Preliminary Findings.

(iv) The various arguments brought by petitioners on the issues of injury and causal link clearly establish that the domestic industry has suffered material injury from dumping of the subject product from subject countries

(v) The Domestic industry has requested the Designated Authority to recommend final duty in variable form in terms of US$ so that erosion of the quantum of protection does not take place on account of changes in exchange rate.

(b) **VIEWS OF M/S. GUANGDONG ZHONGCHENG CHEMICALS CO., LTD., CHINA P.R.**

(i) The Authority has used the time frame work as mere excuse to bar interested party from having a right to the fair hearing,

regardless of a proper reason given by such interested party, such Investigation is simply wrong and appears to be unfair and discriminative. It is perfectly legal, reasonable and understandably for an interested party to ask for an extension.

(ii) The Authority has not given any explanation with respect to the dumping calculation itself.

(iii) Although the investigating authority of India stated in Annex 3 that all indices regarding injury for final determination were considered yet the evidence of causality was not formulated.

(iv) In view of the co-operation for the respondent the Authority should treat the respondent separately to find out a constructive way of resolving the market development of the product concerned in India. This would for example include any undertakings in the form of quantity and/or price by the respondent only, who will furthermore co-operate with the Indian authority to provide regular export information in respect of undertakings offered.

E. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION:**

5. (a) The product involved in the present Anti Dumping investigation is Sodium Hydrosulphite (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from China P.R. Sodium Hydrosulphite(Chemical formula $Na_2S_2O_4$) is a white or greyish white crystalline powder, free from visible foreign particles with pungent odour. Sodium Hydrosulphite finds application in various fields like textiles, soap, molasses, glue and reducing agent disulphide of Metal ions to Metals, linkage in wool hair etc. Present investigation covers all forms of Sodium Hydrosulphite. Sodium Hydrosulphite is classified under Customs sub heading No. 2831.10 and 2832.10 under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the petitioners have claimed that the product under consideration is also being imported and cleared under Customs sub-heading 2932.10, 2932.19 and 2932.20 of Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975.

(b) The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

No arguments have been raised by any of the interested parties with regards to product under consideration and the scope of present investigation. Therefore, the Authority confirms the Preliminary Findings with regards to product under consideration.

F. **LIKE ARTICLES:**

6. (a) Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules specifies that "Like Articles" means an Article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an Article, another article, having characteristics closely resembling those of the articles under examination

(b) The petitioners have claimed that the Sodium Hydrosulphite produced and sold by them and those imported from the subject Country are being used inter changeably by the customers in India.

(c) There is no argument disputing that Sodium Hydrosulphite produced by the domestic industry has characteristics closely resembling the imported product and is substitutable to the Sodium Hydrosulphite imported from the China PR both commercially and technically. Sodium Hydrosulphite produced by the domestic industry has been treated as Like Article to the product exported from China PR, within the meaning of Rule 2(d).

In view of the above, the Authority confirms the Preliminary Findings on Like Article.

G. **DOMESTIC INDUSTRY:**

7. (a) As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry."

(b) The definition of domestic industry given above is further clarified by Rule 5 of Rules which reads as follows:-

"---------- the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition as the case may be to the application.

(c) The petition has been filed jointly M/s. Transpek Industry Ltd., Gujarat and M/s. Demosha Chemicals Ltd., Mumbai on behalf of the domestic

industry. The petitioners account for a major proportion of total indian production and therefore have a standing to file the petition on behalf of domestic industry under the Rules above said.

As no arguments have been raised by any of the interested parties, with regards to the standing of domestic industry, the Authority confirms its preliminary findings with regard to standing of petitioners to represent domestic industry in the investigation.

H. **THE NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN:**

8. **NORMAL VALUE:**

The views of the Domestic Industry, Exporters, Importers and other interested parties with regard to the Normal Value have been dealt with in para 2 above and have not been repeated here for the sake of brevity.

(I) **M/S. GUANGDONG ZHONGCHENG CHEMICALS CO., LTD., CHINA PR**

(a) As brought out in the preliminary findings, the Authority sent questionnaire to known exporters of the subject goods in China PR Response to the questionnaire was received from M/s. Guangdong Zhongcheng Chemicals Co., Ltd., China PR after the prescribed time limit. The information solicited was grossly deficient, hence they were requested after the preliminary findings to furnish the required information. Since no information was received within the further time allowed to the exporter, another opportunity to furnish the required information was given vide letter dated 13th March, 2001. The exporter filed its reply on 20th March, which was found to be grossly incomplete, inconsistent and insufficient. Accordingly another opportunity was given to the exporter to furnish complete information by 3rd July, 2001. The reply to the same was received on 9th July, 2001. Even this response was found insufficient, inconsistent and inadequate. The Authority conveyed its comments to the exporter with regard to the various deficiencies noticed by the Authority and sought the comments of the exporter on the same vide its letter dated 23.7.2001. In spite of providing ample opportunities to M/s. Guangdong Zhongcheng Chemicals Co., Ltd., China PR, it has been observed that their information is still inconsistent and deficient in the following aspects:-

(i) The exporter has furnished the transaction wise details of its sales of Sodium Hydrosulphite in the domestic market. It has been observed that the average sales realization of Sodium

Contd...13/-

Hydrosulphite in domestic market varies from CNY ****per MT to CNY **** per MT. The transaction-wise domestic sales realization shows that the highest sales realisation is higher by about 5837 times as compared to the lowest sales realisation during the Period of Investigation. A large number of transactions show such abnormal deviation from the average sales realization as claimed by the exporter. This was informed to the company vide latter dated 23.07.2001 and their comments sought. In response to the observation of the Designated Authority, M/s. Guangdong Zhongcheng Chemicals Co., Ltd., China PR has claimed that they could not find any deviations in their response. They requested to fax a copy of that reply to their Indian Counsel so that the variances could be detected. Accordingly the Indian Counsel of the exporter was called in person and the variances so highlighted were brought to his notice. No clarification was furnished by the exporter.

(ii) The information furnished by the company with regard to its cost of production at different places in the questionnaire response and in different subsequent replies show vide variations. The cost of production claimed in Appendix 8,9 and 10 of the questionnaire response show a cost of production of CNY**** per MT whereas the total of the individual items of costs in the same table show the cost of production as **** per MT. Further, an analysis of the cost of production details shown vide their letter 09.07.2001 shows costs per unit as CNY**** per MT for the Period of Investigation and CNY **** per MT of Sodium Hydrosulphite for the pervious accounting year. This showed a wide variation of 152% in the cost of production between two consecutive years. However, the total of the individual items of the cost of production statement shows ex-factory cost of production as CNY**** per MT of Sodium Hydrosulphite which is substantially different from the cost of production claimed in the statement.

(iii) It is observed by the Authority that there was a wide variation in the information provided in Appendix-7. The stock and production data does not reconcile with the total sales. This was brought to the notice of the exporter. The exporter was directed to give invoice-wise details of purchased Sodium Hydrosulphite, if any. In response to the same, the exporter admitted the variances but did not furnish the details of the purchases made from outside.

Contd....14/-

(iv) Since the domestic industry had made written requests for the Non Confidential Version of the submissions of the exporter, repeated requests were made by the Authority to the exporter to submit the same. The Non Confidential version submitted by the exporter on 30.7.3001 does not contain the following information which is a crucial disclosure .-

- Certificate of Correctness
- Legal form and statute of the company
- List of owner's/share holders
- Corporate address of main corporate office, representative in India
- Factories address
- Incentive given by respective government
- Full description including specifications
- Clarification about determination of cost of Production
- Clarification about financial & Cost accounting system
- Profit/Loss account and Balance Sheet of Period of Investigation and last two years

- It has been found that no details about the sale of Sodium Hydrosulphite 88% and 90% in the home market has been given in the Non Confidential version.

- The exporter was requested to furnish the details of the finance made available by the affiliated trader, namely M/s Hung Sung Trading Company. The same has not been provided.

- It is noted that the affiliated trader has not responded to the Designated Authority.

(b) In view of deficiencies/anomalies/inconsistencies as detailed above and in the absence of vital information required by the Designated Authority to determine normal value, the Authority holds that the information filed by the exporter is insufficient to determine normal value in respect of the company. The Authority considers it appropriate to determine normal value on the basis of the constructed cost of production, considering the best information available on record.

(II) **OTHER EXPORTERS FROM CHINA:**

9. None of the exporters/producers in China have responded to the Authority in the form and manner prescribed. The Authority considers it appropriate to determine normal value on the basis of the constructed cost of production, considering the best information available on record.

10. **EXPORT PRICE**:

(a) The views of the Domestic Industry, Exporters, Importers and other Interested parties with regard to the Export Price have been dealt with in para 2 above and have not been reproduced here for the sake of brevity.

(b) M/s Guangdong Zhongcheng Chemicals Co. Ltd., has furnished information relevant to determination of export price. The exporter has provides details of exports made to India during Period of Investigation (POI). Adjustments have been claimed by exporter on account of overseas freight, overseas insurance etc. and the same have been considered by the Authority. The weighted average Ex-factory export price thus works out to **** US$/MT.

11. **DUMPING MARGIN-COMPARISION OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE:**

(a) The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

(b) The views of the Domestic Industry, Exporters, Importers and other Interested parties with regard to the Dumping Margin have been dealt with in para 2 above and have not been reproduced here for the sake of brevity.

(c) The Authority has followed the provisions governing determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I of Anti- Dumping Rules and the practice being followed in this regard. Based on the Normal Value and Export Prices, determined as explained above, the Authority has worked out the Margin of Dumping in case of all exports of Sodium Hydrosulphite from China P.R. by M/s. Guangdong Zhongcheng Chemicals Co. Ltd., as 71.5 %.

(d) No response was filed in the present investigation by any other exporters from China P.R. The Authority provided opportunity to other exporters from China P.R. to furnish relevant information for assessment of normal value, export price and dumping margin. The Authority also wrote to the Embassy of Peoples Republic of China in India. However, no other exporter has furnished any information relevant to the present investigation. In the absence of any response from other exporters from China P.R. (described as other exporters) the dumping margin has been determined in respect of these exporters on the basis of normal value as discussed above and the appropriate export price as noticed from exports made by M/s. Guangdong Zhongcheng Chemicals Co., Ltd., China P.R. This shows a dumping margin of 85.68% of net export price in respect of other exporters from China

I. **INJURY AND CAUSAL LINK**:

12. The Authority has taken into account all indices regarding injury in the final determination. This involved examination of all relevant parameters, as laid down under Principles for Determination of Injury specified under Annexure II to the Anti Dumping Rules. The Authority has examined (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Authority, for the purpose, considered whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In order to examine the effect of the dumped imports on prices the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports was otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which other wise would have occurred to a significant degree. The effect of dumped imports on the domestic industry has been examined by considering the parameters such as decline in sales (actual or potential), production, capacity utilisation, market share, productivity, stocks, selling prices, profitability, return on investments, the magnitude of the margin of dumping, cash flow (actual and potential), employment, wages, growth, ability to raise funds, etc. for the domestic industry. The Authority has carried a detailed examination of the domestic industry to arrive at non-injurious price. While determining the non injurious price, the Authority has done appropriate analysis of the relevant factors such as usage of raw material & utilities, expenses incurred by the domestic industry during the period of investigation,

investments and capacity utilisation. The Non-Injurious Price for the domestic industry has been determined considering a reasonable return on the capital employed by the petitioners. For calculation of injury margin, the ex-factory non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject goods.

13. The Authority notes that quantum of imports of Sodium Hydrosulphite from China P.R. are more than the de-minimus limits prescribed under the Rules, there has been an increase in the share of imports from China P.R. relative to total imports of Sodium Hydrosulphite in India. Authority further notes that the exporters from China P.R. have exported Sodium Hydrosulphite to India at a price lower than the normal value in China P.R. and the dumping margin is very significant. Export price from China have declined significantly. The landed value of imports of Sodium Hydrosulphite from China P.R. to India were at a price lower than the selling price and the non-injurious price for the domestic industry. This forced the domestic industry to reduce its selling prices and prevented it from increasing its sales price to a reasonable level commensurate with the increase in the cost of production, resulting in significant erosion in the profitability of domestic industry from the sales of subject goods. The imports thus resulted in significant price undercutting in the market and had suppressing/depressing effect on the prices for the domestic industry. Inventories show rising trend, even though the same declined marginally towards the end of the investigation period, due to higher sales at lower prices. While employment does not show any negative trend, the same has to be seen alongwith the rising production levels and policy of the company and the Government of India with regard to labor. Though production, sales and capacity utilisation show positive trends, the Authority notes that the same was of little help to the domestic industry, given increasing losses. The profitability declined significantly in spite of higher production and sales. While productivity of the domestic industry improved, the same only reinforces (given higher losses) that the domestic industry should be provided legitimate protection against unfairly priced dumped imports in order to ensure the same levels of productivity. Cash flow of the domestic industry has deteriorated and the return on investments not only became negative but also shows increasingly higher negative returns. In view of the same, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury and the injury to domestic industry has been caused due to dumped imports of Sodium Hydrosulphite from China P.R.

14. **INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES:**

(a) The purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the petitioner companies and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

(b) It is recognized that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have so some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of anti dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the petitioner company. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the petitioner companies and help maintain availability of wider choice to the consumers of Sodium Hydrosulphite. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

(c) To ascertain the extent of anti dumping duty necessary to remove the injury to the petitioner companies, the Authority has relied upon non injurious selling price of Sodium Hydrosulphite in India for the petitioner companies, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilisation for the petitioner companies.

(d) In response to the disclosure statement, the exporter M/s Guangdong Zhongcheng Chemicals Co., Ltd., China P.R. requested the Authority to treat the exporter separately to find out a constructed way of resolving the market development of the product concerned in India including any undertakings in the form of quantity and/or price by the exporter only who will further more cooperate the Indian authority to provide regular export information in respect of undertakings offered. Consequent upon which the Authority sent the prescribed proforma for price undertaking to the exporter. While the exporter did not respond back, the Authority on its part followed up the proposed undertaking with the exporter. However, the exporter vide its e-mail dated 11th September, 2001 has conveyed its unwillingness.

to give proposed price undertaking and has intimated that currently such an undertaking does not seem feasible as prices of the product seem to have reduced substantially in the international market, since the period of investigation.

CONCLUSIONS:

15. The Authority, after considering the foregoing, concludes that:

(a) Sodium Hydrosulphite originating in or exported from the subject country has been exported to India below its normal value, thereby resulting in dumping.

(b) The domestic industry has suffered material injury.

(c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from China P.R.

(d) Even though one of the exporters, namely, M/s. Guangdong Zhongcheng Chemicals Co., Ltd., China P.R. expressed its willingness to give price undertaking, the Authority could not explore the same as the exporter has shown its unwillingness subsequently.

K. **FINAL FINDINGS:**

16. The Authority, after considering the foregoing, concludes that:

(a) The Authority considered to recommend the amount of Anti-Dumping Duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to domestic industry. The average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the Non-Injurious selling price of the petitioner companies, determined for the period of investigation Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended.

(b) Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings with regard to imposition of anti-dumping duty and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of Sodium Hydrosulphite falling under the Chapter 28 of Customs Tariff Act. originating in or exported from China P.R..

It is clarified that the anti dumping duty would also apply to those imports of the subject goods which are routed through Hong Kong provided the country of origin in these cases is China P. R. The amount of Anti-Dumping Duty shall be the amount indicated in the table below:-

Sl. No.	Country/Exporters from China P.R.	Amount of duty (US$/ per MT)
1.	M/s. Guangdong Zhongcheng Chemicals Co., Ltd.	216.33
2.	All Other Exporters	294.17

17. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 or 9A, as the case may be, of the Customs Tariff Act, 1975.

18. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054